

प्रारूप-18

परियोजना का नाम:- नाधर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी

म.दी.म.सि.ई.
(ज.ग. दी.म.सि.ई. विक्ट.)
वन दुरोग।
-मौ.द.ल.ए. म.उ.ग.ग.

वन क्षेत्र अधिकारी
पिथौरागढ़

सहायक वनाधिकारी
राज्यीय वन, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

अधिसूचना अधिसूचना
प्रांतीय वन, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

Sub. Divisional Officer
Didihat
Pithoragarh Forest Divi.

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़